जवाब दो!!! सरकार
www.jawabdosarkar.com
देश का पहला जवाबदेही पोर्टल

देश के लिए... अव्यवस्था के खिलाफ...

JAWAB DO SARKAR ™

www.jawabdosarkar.com

रेफरेंस संख्या –2021/tpf/07 | E-Newsletter, Issued in Public Interest | रविवार, 6 जून 2021

SPECIAL REPORT

भाग-1

जयश्री पेड़ीवाल स्कूल की 11वीं क्लास में ऑन लाइन क्लास के दौरान नाबालिग छात्र-छात्राओं को अश्लील मूवी दिखाने का मामला!!

पोक्सो एक्ट के तहत संज्ञेय अपराध होने के बावजूद चित्रकूट पुलिस के जिम्मेदार थानाधिकारी श्री पन्नालाल जांगिड़ ने करवाया तथाकथित समझौता!!!

*भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रकाशन एवं समस्त प्रकाशन IT Act 2000 के तहत उत्तरदायी सर्वाधिकार@www.jawabdosarkar.com

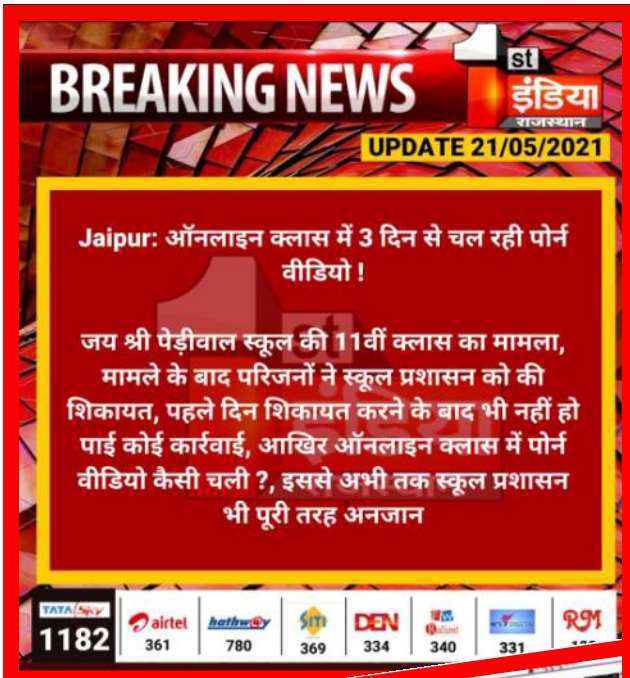

BREAKING NEWS

1st इंडिया राजस्थान

UPDATE 21/05/2021

Jaipur: ऑनलाइन क्लास में 3 दिन से चल रही पोर्न वीडियो !

जय श्री पेड़ीवाल स्कूल की 11वीं क्लास का मामला, मामले के बाद परिजनों ने स्कूल प्रशासन को की शिकायत, पहले दिन शिकायत करने के बाद भी नहीं हो पाई कोई कार्रवाई, आखिर ऑनलाइन क्लास में पोर्न वीडियो कैसी चली ?, इससे अभी तक स्कूल प्रशासन भी पूरी तरह अनजान

TATA Sky 1182 | airtel 361 | hathway 780 | SITI 369 | DEN 334 | 340 | 331 | RM

निजी स्कूल के छात्र ने ऑनलाइन कक्षा में चलाया अश्लील वीडियो

हिन्दुस्तान एक्सप्रेस

जयपुर। प्रदेश में करोना संक्रमण के चलते विद्यालय बंद हैं और उनमें ऑनलाइन पढ़ाई करवाई जा रही है। इसी क्रम में चित्रकूट स्थित एक निजी स्कूल के 11वीं कक्षा के छात्र ने अश्लील विडियो चलाने का मामला सामने आया है। इस विडियो के चलने से आनन - फानन में स्कूल के कुछ अभिभावकों ने स्कूल प्रबंधन को मामले की जनकारी दी और जिम्मेदार छात्र के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। शनिवार को मामला सामने आने पर राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग और शिक्षा विभाग ने भी स्कूल से इस मामले का स्पष्टीकरण मांगा है। मामले को देखते हुए स्कूल प्रबंधन ने आपत्तिजनक विडियो चलाने वाले विद्यार्थी को तुरन्त प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इस मामले में आयोग की अध्यक्ष श्रीमती संगीता बेनीवाल ने चित्रकूट स्थित जयश्री पेरीवाल हाईस्कूल को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। नोटिस द्वारा कहा गया है कि स्कूल के विद्यार्थी ने ऑनलाइन पढाई के दौरान अश्लील विडियो चलाया तथा शिकायत के बाद भी स्कूल प्रबंधन ने कोई कार्रवाई नहीं की। इस शिकायत को आयोग ने गंभीरता से लेते हुए संबंधित विद्यालय प्रबंधन के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। उधर अभिभावक संगठनों ने इस मामले की शिकायत सीएम, बाल संरक्षण आयोग एवं शिक्षा विभाग के अधिकारियों से की, साथ ही विद्यालय प्रबंधन का कहना है कि तत्काल प्रभाव से छात्र को निलंबित कर दिया गया है। आयोग ने कहा कि अश्लील विडियो एवं पोनोर्ग्राफी का प्रसारण भारतीय दंड संहिता 1860 के साथ-साथ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 एवं पोक्सो अधिनियम 2012 का भी उल्लंघन है। उक्त प्रकरण प्रथम दृष्ट्या आपराधिक कृत्य एवं दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है।

अभिभावक एकता आंदोलन

अभिभावक हेल्पलाइन : 9309333662

- मनीष विजयवर्गीय

राजस्थान पत्रिका epaper

'पुलिस दर्ज नहीं कर रही अभिभावक प्रतिनिधियों की शि

निजी स्कूल में ऑनलाइन क्लास में पोर्न वीडियो चलने का मामला

डेली न्यूज, जयपुर ▷ 24 मई

जयपुर के एक निजी स्कूल (जयश्री पेड़ीवाल स्कूल) की ऑनलाइन क्लास में तीन दिन तक प्रसारित पोर्न वीडियो मामले में अभिभावक एकता आंदोलन राजस्थान के प्रतिनिधियों ने स्कूल प्रबंधन के विरुद्ध मुख्यमंत्री, बाल संरक्षण आयोग

उन्होंने सुना एवं उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया।

'विद्यार्थी का निष्कासन : स्कूल के बचने

आंदोलन के प्रदेश संयोजक मनीष विजयवर्गीय और को गुरु शर्मा ने कहा कि पुलिस ने एकतरफा स्कूल एफआईआर दर्ज की है, लेकिन हमारी तरफ से 2 शिकायत दर्ज नहीं की जा रही। स्कूल द्वारा विद्या किया जाना खुद की जिम्मेदारी से बचने का प्रयास विद्यार्थी का निष्कासन समाधान नहीं है, उसे सुधार चाहिए था।

अभिभावक करेंगे विरोध

अभिभावक प्रतिनिधि लवलेश खूंटेटा ने कहा कि मामले में स्कूल जिम्मेदारी एवं लापरवाही से बचना

मान्यता र

मनीष विज स्कूल के ए कोरोना पॉ फीस क ऑनलाइ प्रताड़ना

जयपेड़ीवाल स्कूल पोर्न वीडियो मामला: पुलिस द नही कर रही अभिभावक प्रतिनिधियों की शिकाय

✱ कलम ए राजस्थान

जयपुर। जयपेडीवाल स्कूल की ऑनलाइन क्लास में 3 दिन तक प्रसारित पोर्न डियो मानले में अभिभावक एकता ांदोलन राजस्थान के प्रतिनिधियों ने स्कूल बंधन के विरुद्ध मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, बाल रक्षण आयोग एवं पुलिस थाने में शिकायत है।

ाल संरक्षण आयोग अध्यक्ष सुनी शिकायत

आंदोलन के प्रदेश संयोजक मनीष जयवर्गीय ने मेल पर लिखित शिकायत के थ-साथ आयोग की अध्यक्षा सुनीता नीवाल से मोबाइल पर भी बात की जिसे होंने सुना एवं उचित कार्यवाही का श्वासन दिया।

द्यार्थी का निष्कासन - कूल द्वारा बचने का प्रयास

आंदोलन की प्रदेश संयोजक मनीष जयवर्गीय एवं कोऑर्डिनेटर विकास गुरु र्मा ने कहा कि पुलिस ने एक तरफा स्कूल की तरफ से एफआईआर दर्ज की है परंतु हमारी तरफ से 2 दिन पूर्व दी गई शिकायत दर्ज नहीं की जा रही है। स्कूल द्वारा विद्यार्थी का निष्कासन किया जाना खुद की जिम्मेदारी से बचने का प्रयास मात्र है अवयस्क विद्यार्थी का निष्कासन समाधान नहीं है, उसे सुधारने का प्रयास होना चाहिए था।

निष्पक्ष जांच हो - दोषी पाए जाने पर मान्यता रद्द दो

मनीष विजयवर्गीय ने कहा कि हाल ही इसी स्कूल के एक कोरोना पॉजिटिव विद्यार्थी

बाद भी फीस का दबाव डाला गया एवं की ऑनलाइन क्लास बंद कर उन्हें मान प्रताड़ना दी गई इन दोनों मामलों की नि जांच हो एवं दोषी पाए जाने पर स्कूल मान्यता भी रद्द की जानी चाहिए" जि ऐसे मामलों की पुनरावृति ना अभिभावक प्रतिनिधि लवलेश खुटेट कहा कि इस मामले में स्कूल अ जिम्मेदारी एवं की गई लापरवाही से ब चाह रहा है, यदि किसी के प्रभाव या दबा जांच प्रभावित हुई और गैर जिम्मेदारों बचाया गया तो अभिभावक इसका खुल

... मास्क, सेनेटाइजर दिया जा रहा है।

निजी स्कूल के जवाब से बाल आयोग संतुष्ट नहीं

जयपुर। ऑनलाइन कक्षा में चले आपत्तिजनक वीडियो के मामले में निजी स्कूल के जवाब पर राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने असंतोष जाहिर किया है। स्कूल के जवाब को आयोग ने टालमटोल वाला माना है। आयोग ने एक बार फिर स्कूल को नोटिस जारी कर पूछा है कि विद्यार्थी को तो सस्पेंड कर दिया, लेकिन स्टाफ व टेक्निकल टीम पर कार्रवाई क्यों नहीं की। गौरतलब है कि जयश्री पेरीवाल स्कूल की 11वीं की कक्षा की ऑनलाइन पढ़ाई के दौरान एक विद्यार्थी ने आपत्तिजनक वीडियो चला दिया था।

भावभीनी श्रद्धांजलि

विभिन्न समाचार पत्रों मे इस मामले मे प्रकाशित खबरे

सोशल मीडिया पर वायरल फोटोज मे पुलिस की मौजूदगी मे स्कूल प्रशासन से समझौता करते अभिभावक एकता आंदोलन राजस्थान के कर्ता-धर्ता

क्या है पूरा मामला?

दिनांक 19/05/2021 से 21/05/2021 तक जयपुर के चित्रकूट थाना इलाके मे स्थित जय श्री पेड़ीवाल स्कूल की 11 वीं कक्षा मे लगातार तीन दिन तक छात्र-छात्राओं और स्कूल प्रशासन की आँखों के सामने पॉर्न फिल्म चलती रही,जिसकी शिकायत बच्चों द्वारा अपने अभिभावकों से की गयी|अभिभावकों द्वारा स्कूल प्रशासन को इस मामले की इत्तला करने के बावजूद यह कारनामा तीन दिन तक चलता रहा|

इस मामले की शिकायत अभिभावकों के पैरोकार बनने वाले अभिभावक एकता आंदोलन राजस्थान के कुछ पदाधिकारियों द्वारा मुख्यमंत्री,शिक्षा विभाग,बाल संरक्षण आयोग और स्थानीय पुलिस को की गयी|लेकिन घटना मे शिक्षा विभाग,बाल संरक्षण आयोग द्वारा नोटिस जारी करने के बावजूद स्थानीय चित्रकूट पुलिस थाने द्वारा इस संज्ञेय अपराध मे एफ़आईआर तक दर्ज नहीं की बल्कि उल्टा अभिभावकों के पैरोकार बनने वाले अभिभावक एकता आंदोलन और स्कूल प्रशासन के बीच मिसअंडरस्टेंडिंग होना बता कर दोनों पक्षो मे समझौता करवा दिया|

पोक्सो एक्ट की धारा 11 जिसके तहत तीन वर्ष तक की सजा का प्रावधान है|

आश्चर्य की बात तो यह है कि जहां पहले चित्रकूट पुलिस मामले का क्षेत्र दूसरे थाने का बता कर पल्ला झाड रही थी और अभिभावकों के पैरोकार बनने वाले अभिभावक एकता आंदोलन राजस्थान के कर्ता-धर्ता थाने के सामने खड़े होकर धरना-प्रदर्शन करने की बड़ी बड़ी बाते कर रहे थे,वही यह दोनों पक्ष कैमरे के सामने स्कूल प्रशासन से समझौता करते नजर आ रहे थे|

ङ.—लैंगिक उत्पीड़न और उसके लिए दंड

11. कोई व्यक्ति, किसी बालक पर लैंगिक उत्पीड़न करता है, यह कहा जाता है जब ऐसा व्यक्ति लैंगिक आशय से — लैंगिक उत्पीड़न।

(i) कोई शब्द कहता है या कोई ध्वनि या अंगविक्षेप करता है या कोई वस्तु या शरीर का भाग इस आशय के साथ प्रदर्शित करता है कि बालक द्वारा ऐसा शब्द या ध्वनि सुनी जाएगी या ऐसा अंग विक्षेप या वस्तु या शरीर का भाग देखा जाएगा; या

(ii) किसी बालक को उसके शरीर या उसके शरीर का कोई भाग प्रदर्शित करवाता है जिससे उसको ऐसे व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा देखा जा सके;

(iii) अश्लील प्रयोजनों के लिए किसी प्ररूप या मीडिया में किसी बालक को कोई वस्तु दिखाता है; या

(iv) बालक को या तो सीधे या इलेक्ट्रानिक, अंकीय या किसी अन्य साधनों के माध्यम से बार-बार या निरंतर पीछा करता है या देखता है या संपर्क करता है; या

(v) बालक के शरीर के किसी भाग या लैंगिक कृत्य में बालक के अंतर्ग्रस्त होने का, इलेक्ट्रानिक, फिल्म या अंकीय या किसी अन्य पद्धति के माध्यम से वास्तविक या गढ़े गए चित्रण को मीडिया के किसी रूप में उपयोग करने की धमकी देता है; या

(vi) अश्लील प्रयोजनों के लिए किसी बालक को प्रलोभन देता है या उसके लिए परितोषण देता है।

स्पष्टीकरण —कोई प्रश्न, जिसमें "लैंगिक आशय" अंतर्वलित हैं, तथ्य का प्रश्न होगा।

12. जो कोई, किसी बालक पर लैंगिक उत्पीड़न करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। लैंगिक उत्पीड़न के लिए दंड।

जवाब मांगते सवाल?

- पोक्सो एक्ट 2012 की धारा 11 के तहत यह मामला संज्ञेय अपराध होने के बावजूद आखिर चित्रकूट थाने ने उक्त मामला दर्ज क्यूँ नहीं किया?
- यदि चित्रकूट थाने के अधिकार क्षेत्र मे यह मामला नहीं है, तो उसे उन्होने ज़ीरो एफ़आईआर दर्ज कर संबन्धित थाने मे अंतरित क्यूं नहीं किया?यदि यह मामला उनके अधिकार क्षेत्र मे नहीं था तो उन्होने दोनों पक्षो के मध्य समझौता कैसे करवा दिया?

बालक द्वारा अपराध किए जाने और विशेष न्यायालय द्वारा आयु का अवधारण करने के मामले में प्रक्रिया।

34. (1) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध, किसी बालक द्वारा किया जाता है वहां ऐसे बालक पर किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 के उपबंधों के अधीन कार्रवाई की जाएगी। 2000 का 5

(2) यदि विशेष न्यायालय के समक्ष किसी कार्यवाही में इस संबंध में कोई प्रश्न उठता है कि कोई

- किस अध्यापक/अध्यापिका की क्लास मे चल रही थी उक्त पॉर्न मूवी?जयश्री पेड़ीवाल स्कूल मे कौन करता है उक्त क्लासों का तकनीकी संचालन?
- यदि इस पॉर्न मूवी को किसी नाबालिग छात्र द्वारा उक्त कक्षा की ऑनलाइन क्लास मे चलायी जा रही थी,तो उस नाबालिग छात्र के विरुद्ध पोक्सो एक्ट की धारा 34(1) के तहत किशोर न्याय(बालकों की देख रेख और संरक्षण)अधिनियम 2000 के उपबंधों के तहत कार्यवाही क्यूँ नहीं की गयी?

राजस्थान पुलिस एक्ट 2007 की धारा 31

31. संज्ञेय मामलों में इत्तिला का अभिलिखित किया जाना.— (1) पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी किसी भी संज्ञेय अपराध के किये जाने के संबंध में प्रत्येक इत्तिला को दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 2) के उपबंधों के अनुसार तुरन्त प्राप्त और अभिलिखित करेगा।

(2) जहां कोई व्यक्ति जिला पुलिस अधीक्षक को ऐसे किन्हीं भी तथ्यों की सूचना भेजता है या देता है जिनसे प्रथमदृष्ट्या कोई संज्ञेय अपराध गठित होता है और अभिकथन करता है कि अधिकारिता रखने वाले पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी ने इत्तिला अभिलिखित करने से इनकार कर दिया है तो जिला पुलिस अधीक्षक उक्त पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के विरुद्ध नियमों के अनुसार तुरन्त अनुशासनिक कार्रवाई करेगा या करवायेगा।

(3) उक्त अनुशासनिक कार्यवाहियों में अधिनिर्णीत कोई दण्ड संबंधित अधिकारी के सेवा अभिलेख में अभिलिखित किया जायेगा और जब उसकी क्षमता और निष्पादन का निर्णयन अपेक्षित हो तब सदैव उस पर विचार किया जायेगा।

- आखिर क्यूँ चित्रकूट पुलिस ने संबन्धित पॉर्न क्लिप जब्त नहीं की?क्यूँ संबन्धित पक्षो,गवाहों के बयान दर्ज नहीं किए?
- संज्ञेय अपराध मे समझौता करवाने का अधिकार चित्रकूट थाने के थाना इंचार्ज पन्नालाल जांगिड़ को किसने दिया?
- क्या डीसीपी प्रदीप मोहन शर्मा राजस्थान पुलिस एक्ट 2007 की धारा 31 के तहत चित्रकूट थाने के थाना इंचार्ज पन्नालाल जांगिड़ के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करेंगे?
- इस मामले की शिकायत करने वाले और अभिभावकों के पैरोकार बनने वाले अभिभावक एकता आंदोलन राजस्थान के पदाधिकारियों द्वारा किस हेसियत से स्कूल प्रशासन के साथ समझौता किया गया?
- क्या महज संबन्धित छात्र को निलंबित कर देने से जयश्री पेड़ीवाल स्कूल प्रशासन इस मामले मे पल्ला झाड सकता है?